75/17
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
A3

विविध बैंक प्र0सं0 75/2017 भारतीय स्टेट बैंक शाखा हनुमानगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर बनाम श्रीमति सुरेन्द्र कौर ढिल्लों पत्नि स्व0 दिनेश कुमार निवासी जी 83 सिविल लाईन श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.09.2017

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने श्रीमति सुरेन्द्र कौर ऋणी को ऋण सुविधा के रूप में 20,00,000रूपये (अखरे बीस लाख मात्र) **ऋण** दिनांक 30.12.2015 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया श्रीमति सुरेन्द्र कौर ऋणी ने अपनी रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) बी.12, बापूनगर, मुरब्बा न0 51, चक 6ई छोटी, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 15'X50' कुल 750 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीया ऋणी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज का भुगतान समय पर नही किया गया है जिस कारण उसका ऋण खाता दिनांक 30.04.17 को एन.पी.ए. हो गया। अप्रार्थीया ऋणी की ओर दिनांक 15.05.2017 को ऋण राशि 19,86,441रूपये एवंम इसके बाद का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीया को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 15.05.2017 को भिजवाया गया था नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीया द्वारा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया है। इसलिए अप्रार्थीया श्रीमति सुरेन्द्र कौर ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) बी.12, बापूनगर, मुरब्बा न0 51, चक 6ई छोटी, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 15'X50' कुल 750 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावें।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा कुल 20,00,000— रूपये (अखरे बीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 30.12.2015 को अप्रार्थीया श्रीमति सुरेन्द्र कौर को स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया श्रीमति सुरेन्द्र कौर ऋणी द्वारा अपनी रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) बी.12, बापूनगर, मुरब्बा न0 51, चक 6ई छोटी, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 15'X50' कुल 750 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। अप्रार्थीया ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की ऋण राशि का भुगतान नियमित रूप से न किया जाने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 30.04.2017 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया और धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 15.05.2017 को बकाया राशि 19,86,441—रूप्ये जमा करवाने के लिए 60 दिवस का रजि0 ए.डी. नोटिस जारी किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थी बैंक द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीया को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस की तामील होने के बावजूद भी अप्रार्थीया ऋणी से उक्त नोटिस पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नही हुआ है और न ही उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीया श्रीमति सुरेन्द्रकौर ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) बी.12, बापूनगर, मुरब्बा न0 51, चक 6ई छोटी, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 15'X50' कुल 750 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाने की प्रार्थना की गयी है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त भिजवाये गये धारा 13(2) के रजि. ए.डी. नोटिस पर अप्रार्थीया श्रीमति सुरेन्द्र कौर स्वयं के नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीया ऋणी श्रीमति सुरेन्द्रकौर ऋणी द्वारा प्रार्थी की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है एवं प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी नोटिस के जबाब में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया श्रीमति सुरेन्द्र कौर ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) बी.12, बापूनगर, मुरब्बा न0 51, चक 6ई छोटी, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 15'X50' कुल 750 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीया श्रीमति सुरेन्द्र कौर ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास ऋण की सुरक्षा की एवज में बन्धक रखी गयी रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित इमारत) बी.12, बापूनगर, मुरब्बा न0 51, चक 6ई छोटी, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 15'X50' कुल 750 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर